"शिक्षा क्रान्ति अभियान संस्थान"

भगवन्त पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त)

बोदरवार, जनपद - कुशीनगर -274149

विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन-पत्र

हमारे प्रेरणास्रोत

श्रद्धेय जगदीश पाण्डेय ठकुराई

अध्यक्ष

शिक्षा क्रान्ति अभियान संस्थान

प्रबन्धक की कलम से ...

शिक्षा क्रान्ति अभियान संस्थान द्वारा संचालित यह महाविद्यालय क्षेत्र के शैक्षिक विकास एवं रोजगार संवर्धन हेतु संकल्पित है।

इस महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र - छात्राओं से यह अपेक्षित है कि मानवीय मूल्यों की प्रासांगिकता, विश्व-बंन्धुत्व, वसुधैव-कुटुम्बकम् और सहिष्णुता की भावना को ध्यान में रखकर आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करें।

महाविद्यालय के चतुर्दिक विकास में सभी सम्बन्धित वर्गों - विद्यार्थियों, अभिभावकों, गणमान्य नागरिको प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवियों, राजनेताओं तथा शिक्षकों के सक्रिय एवं रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा है।

अखिलेश पाण्डेय
प्रबन्धक / सचिव

राष्ट्रीय सेवा
"शिक्षाक्रान्ति अभियान संस्थान"
शिक्षा क्रान्ति अभियान संस्थान
भगवन्त पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

आवश्यक सामान्य सूचना

1. अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे इस विवरणिका को पढ़कर सभी नियमों से अवगत हो कर तद्नुसार ही प्रवेश-आवेदन पत्र भरें। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थियों को इस पुस्तिका में उल्लिखित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

2. सभी प्रकार के शुल्क केवल महाविद्यालय के कार्यालय काउन्टर पर जमा होते हैं और उनके लिए छपी पक्की रसीदें दी जाती हैं। रसीद प्राप्त कर उसकी जाँच कर लें कि वह ठीक है और उस पर किसी प्रकार की कटिंग नहीं है। यदि रसीद में कोई त्रुटि हो तो काउन्टर पर दूसरी रसीद की माँग करें। रसीद को सुरक्षित रखें ताकि कभी भी आवश्यक होने पर उसे आप प्रस्तुत कर सकें। यदि कोई छात्र/छात्रा महाविद्यालय काउन्टर पर शुल्क स्वयं जमा कर रसीद नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।

3. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र एवं विवरणिका महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश आवेदन पत्र अभ्यर्थी के नाम से ही दिया जाता है। दूसरे व्यक्ति से क्रय किया गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। महाविद्यालय में प्रवेश से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी के लिए महाविद्यालय की विवरणिका का सतर्कतापूर्वक अवलोकन करें।

4. महाविद्यालय परिसर में संस्थागत विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्राचार्य की अनुमति के बिना असम्बद्ध अथवा वाह्य व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है। इसका उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और उसे पुलिस को सौंपा जा सकता है। इसके लिए उत्तरदायी किसी संस्थागत छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

5. वाह्य व्यक्तियों के लिए किसी कार्य दिवस पर प्राचार्य से मिलने का समय अपरान्ह 2.00 बजे से 3.00 बजे तक है।

6. महाविद्यालय के सभी संस्थागत छात्र/छात्राएँ किसी भी स्थिति में अपना प्रवेश अनुमति पत्र, शुल्क रसीद, परिचय-पत्र और पुस्तकालय-कार्ड अन्य किसी को न दें अन्यथा उनके गलत प्रयोग से सम्बन्धित छात्र/छात्रा का अहित सम्भव है और महाविद्यालय प्रशासन भी इस दोषपूर्ण आचरण के लिए उसे दण्ड दे सकता है। दूसरों के हाथ में पाये गये, प्रवेश अनुमति-पत्र, परिचय-पत्र और पुस्तकालय कार्ड तत्काल निरस्त कर दिये जायेंगे।

7. परिचय-पत्र न होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय से कोई प्रमाण-पत्र या सुविधा नहीं पा सकेगा।

8. विश्वविद्यालय के नियमानुसार कक्षाओं में छात्र-छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

9. महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये नियम एवं विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा नये नियम एवं विधि लागू करने के समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित हैं, जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

विशेष : छात्राओं को प्रवेश में 3 प्रतिशत अर्थात् 15 अंक का विशेष अधिभार दिया जायेगा। प्राचार्य द्वारा विशेष परिस्थिति में 5 प्रतिशत तक अधिभार दिया जा सकता है।

पाठ्य विषय

यह महाविद्यालय, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सम्बद्धता में निम्नलिखित परीक्षाओं और उपाधियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता है -

(क) बी०ए० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जिसके लिए निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का बी०ए० प्रथम वर्ष में चयन किया जाय परन्तु एक वर्ग से केवल एक ही विषय चुना जा सकता है -

1. समाजशास्त्र/गृहविज्ञान/भूगोल/चित्रकला/कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. अंग्रेजी/इतिहास (मध्य व आधुनिक)/प्राचीन इतिहास/संस्कृत
3. राजनीति शास्त्र/हिन्दी/शिक्षा शास्त्र/अर्थशास्त्र

नोट - बी०ए० प्रथम/द्वितीय वर्ष में राष्ट्र गौरव परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

(ख) बी०काम० एवं एम०काम०

(ग) बी०एस०सी०-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान

(ड.) एम०ए० (राजनीति शास्त्र), एम०ए० (समाज शास्त्र), एम०ए० (हिन्दी), एम०ए० (शिक्षा शास्त्र) तथा एम०ए० (गृह विज्ञान)

(च) अध्यापक शिक्षा (बी०एड० - 100 सीट), प्रवेश संयुक्त परीक्षा काउंसलिंग के अनुसार

विशेष : 1. यदि किसी छात्र ने हाई स्कूल अथवा इण्टर परीक्षा में पाठ्य-विषय के रूप में उच्च हिन्दी नहीं लिया है तो उसको सामान्य हिन्दी लेना अनिवार्य होगा किन्तु वे छात्र इस प्रतिबन्ध मुक्त होंगे जो बी०ए० प्रथम वर्ष में एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी का चयन करेंगे।

2. बी०ए० द्वितीय वर्ष में विषय पूर्ववत् रहेंगे। किन्तु बी०ए० तृतीय वर्ष में विद्यार्थी को अपने विगत तीन विषयों में से केवल दो का चयन करना होगा।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र की अंतिम तिथि का तात्पर्य आवदेन-पत्र के महाविद्यालय कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से है। आवेदन-पत्र की प्राप्ति में डाक या किसी अन्य कारण से विलम्ब होने पर महाविद्यालय किसी तरह उत्तरदायी नहीं होगा।
2. प्रवेशार्थियों को निर्धारित छात्र संख्या सीमा (उपलब्ध सीटों) के अन्दर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
3. महाविद्यालय बिना कारण बताए किसी भी आवेदक का प्रवेश अस्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है कोई भी आवेदक अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की मांग नहीं कर सकता है। चाहे वह प्रवेश के लिए हर प्रकार से योग्य क्यों न हो?
4. प्रथमतः महाविद्यालय में कोई भी प्रवेश अस्थायी होगा, जो प्रवेश की तिथि से चार माह के अन्दर कभी भी निरस्त किया जा सकेगा। कोई भी संस्थागत छात्र/छात्रा सम्बन्धित सत्र में 30 जून तक ही बोनाफाइड विद्यार्थी माना जायेगा।
5. बी०ए०/बी०एस०सी० प्रथम वर्ष में प्रवेश इण्टर की योग्यता सूची से योग्यता के क्रम में होगा।
6. एम०ए० (प्रथम वर्ष) एवं एम०काम० (प्रथम वर्ष) में प्रवेश स्नातक परीक्षा की योग्यता सूची के क्रम में होगा।

7. अधूरे आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं होगा। आवेदन-पत्रों के साथ हाई स्कूल एवं इण्टर अंक-पत्रों, हाई स्कूल प्रमाण-पत्र, पूर्व संस्था द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य पत्रों की स्वसत्यापित छाया-प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।

8. छात्र/छात्राएं निर्धारित तिथि और समय पर (जिसकी सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी) मेरिट क्रम के अनुसार साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों और अपने साथ निम्न प्रपत्र व शुल्क/(नगद/बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक) अवश्य ले आयें अन्यथा उनके प्रवेश पर विचार नहीं होगा। छात्र/छात्रा सूचना पट्ट से सूचना प्राप्त न करने के कारण प्रवेश से वंचित होता है तो महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

साक्षात्कार के समय निम्नांकित अभिलेख एवं उसकी छाया-प्रति लाना अनिवार्य है -

(i) हाई स्कूल व इण्टर (एम०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी अपने स्नातक परीक्षा के अंक पत्र की मूल प्रति तथा उसकी दो-दो छाया प्रति भी साक्षात्कार हेतु लायें) परीक्षाओं के मूल अंक-पत्र और उन की दो-दो छाया-प्रति।

(ii) हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की मूल प्रति और उसकी दो छाया-प्रति।

(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विकलांग/स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि के आधार पर मांगे गये अधिभार या वेटेज के लिए आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र और उसकी दो-दो छाया-प्रति।

(iv) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) की मूल प्रति। व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भी उस विद्यालय से टी०सी० अवश्य लायें जहां वे अंतिम बार संस्थागत छात्र रहे थे।

(v) यू०पी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से इण्टर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में मूल माइग्रेशन प्रमाण-पत्र।

(vi) छः पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। (फोटो के पीछे छात्र/छात्रा, पिता का नाम तथा आवेदित कक्षा लिखा हुआ)

(vii) अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य से चरित्र प्रमाण-पत्र।

(viii) आवश्यक शुल्क। (नगद/बैंक/ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से)

9. साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि और समय पर किसी अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में मेरिट क्रम के अनुसार उसके बाद वाले अभ्यर्थी को प्रवेश का अवसर दिया जायेगा।

10. साक्षात्कार के बाद अर्ह अभ्यर्थी के प्रवेश सम्बन्धी सारी प्रक्रिया उसी दिन पूरी की जायेगी। प्रवेश की प्रक्रिया तभी पूर्ण होगी जब प्रवेशार्थी ने निम्न कार्य कर लिये हों -

(i) शुल्क जमा कर दिया हो,
(ii) परिचय-पत्र बनवा लिया हो,
(iii) विश्वविद्यालय का नामांकन फार्म और परीक्षा फार्म भर दिया हो,
(iv) लाइब्रेरी कार्ड बनवा लिया हो।

11. प्रवेश की पुष्टि के बाद भी किसी समय पता चलने पर कि प्रार्थी ने कोई असत्य विवरण दिया था, उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा।

प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने के पश्चात् किसी भी दशा में शुल्क वापस नहीं होगा।

प्रवेश हेतु देय अधिभार या वेटेज

1. छात्राओं के लिए 3 प्रतिशत/15 अंक
2. एन०सी०सी० में बी सर्टिफिकेट अथवा सी सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थी को 2 प्रतिशत/10 अंक
3. अन्तर्जातीय, प्रदेश अथवा देश-स्तरीय खिलाड़ी अभ्यर्थी को 2 प्रतिशत/10 अंक
4. स्वतंत्रता सेनानियों भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए 2 प्रतिशत/10 अंक
5. शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा के अन्तर्गत विकलांगों के लिए 2 प्रतिशत/10 अंक
6. महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के आश्रितों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित।
7. कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए 10 अंक/2 प्रतिशत आरक्षित।

विशेष :- किसी अभ्यर्थी को किन्हीं दो छूटों के आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक का वेटेज या अधिभार देय नहीं होगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध क्रम सं० 6 में वर्णित के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के लिए शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रवेश में आरक्षण उपलब्ध होगा।

समय सारिणी

समय-सारिणी के अन्तर्गत 7.00 बजे से 5.00 बजे के बीच किसी भी विषय को पढ़ाया जा सकता है। घोषित पीरियड/टाइम-टेबुल में भी आवश्यक होने पर सत्र के अन्दर किसी समय कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है।

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र

पूर्व विद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) की मूल प्रति अथवा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को मूल माइग्रेशन प्रमाण-पत्र महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में उनका नाम महाविद्यालय पंजीयन से काट दिया जायेगा।

शुल्क विवरण

शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

शुल्क भुगतान

प्रवेश के समय निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर सामाजिक छात्र/छात्राओं को विशेष स्थिति में प्राचार्य की अनुमति से दो किश्तों में शुल्क जमा करने की सुविधा मिल सकेगी। परन्तु समय से दूसरी किश्त जमा न होने पर उनका नाम छात्र पंजिका से पृथक कर दिया जायेगा और उनका परीक्षा फार्म भी विश्वविद्यालय नहीं भेजा जायेगा।

नामांकन

बी०ए०/बी०एस०सी० प्रथम वर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय ही विश्वविद्यालय नामांकन पत्र भरना आवश्यक होगा।

परिचय-पत्र

1. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास परिचय-पत्र होना आवश्यक है।
2. बी०ए०/बी०एस०सी०, एम०ए० (प्रथम वर्ष) एवं एम०काम० (प्रथम वर्ष) के सभी छात्र/छात्राओं को प्रवेश की तिथि को ही निर्धारित प्रपत्र भर कर अपना परिचय-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।
3. प्रत्येक परिवर्तित पते की सूचना तत्काल नियन्ता कार्यालय में दी जानी चाहिए।
4. परिचय-पत्र के बिना महाविद्यालय प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को सदैव अपना परिचय-पत्र साथ लाना होगा, जिसकी मांग या चेकिंग किसी समय की जा सकती है।
5. परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में महाविद्यालय कार्यालय में रू० 20.00 जमा करने पर दूसरा परिचय-पत्र बन सकेगा। किन्तु दूसरे परिचय-पत्र के भी खो जाने की स्थिति में ऐफीडेविट देने और रुपये 100.00 दण्ड शुल्क जमा करने पर ही नया परिचय-पत्र बन सकेगा।
6. परिचय-पत्र न होने पर छात्र/छात्रा महाविद्यालय का कोई प्रमाण-पत्र या सुविधा नहीं प्राप्त कर सकेगा।
7. सम्बन्धित छात्र/छात्रा के अतिरिक्त किसी दूसरे के हाथ में पाया गया परिचय-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय समय

प्रत्येक कार्य दिवस पर महाविद्यालय में कार्यालय का समय प्रातः 9.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक और अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 4 बजे तक होगा।

नोट : यदि शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किसी शुल्क में वृद्धि की जाती है तो वह विद्यार्थी द्वारा देय होगी।

बी0ए0/बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष तथा एम0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक विवरण

1. महाविद्यालय कार्यालय से आवेदन पत्र 1 जून से प्रातः 9.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक के बीच प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. महाविद्यालय में आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। आवेदन-पत्र पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय पर ही स्वीकार होंगे।
3. किसी भी तरह से अपूर्ण पाये गये आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। अतएव उसे भेजने से पहले जांच अवश्य कर लें कि -

   आवेदन-पत्र के साथ हाई स्कूल अंक-पत्र, इण्टर अंक-पत्र, स्नातक परीक्षा का अंक-पत्र और देय अधिभार सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र की स्वसत्यापित छाया प्रतियाँ संलग्न हैं।
4. प्रवेश हेतु पहली सूची महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर उपलब्ध होगी। प्रवेश की अगली सूची की जानकारी सूचना-पट्ट से प्राप्त की जायेगी। सूचना-पट्ट से सूचना प्राप्त करने की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।

विशेष - इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले सामान्य/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी ही बी०ए०/बी०एस०सी० (प्रथम वर्ष) में प्रवेश हेतु आवेदन करें।

विशेष - स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी ही एम०ए० (प्रथम वर्ष) / एम०काम० (प्रथम वर्ष) में प्रवेश हेतु आवेदन करें।

Shot by Ankur Alok

भगवन्त पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बोदरवार - कुशीनगर
प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु
स्मार्ट फोन वितरण कार्यक्रम

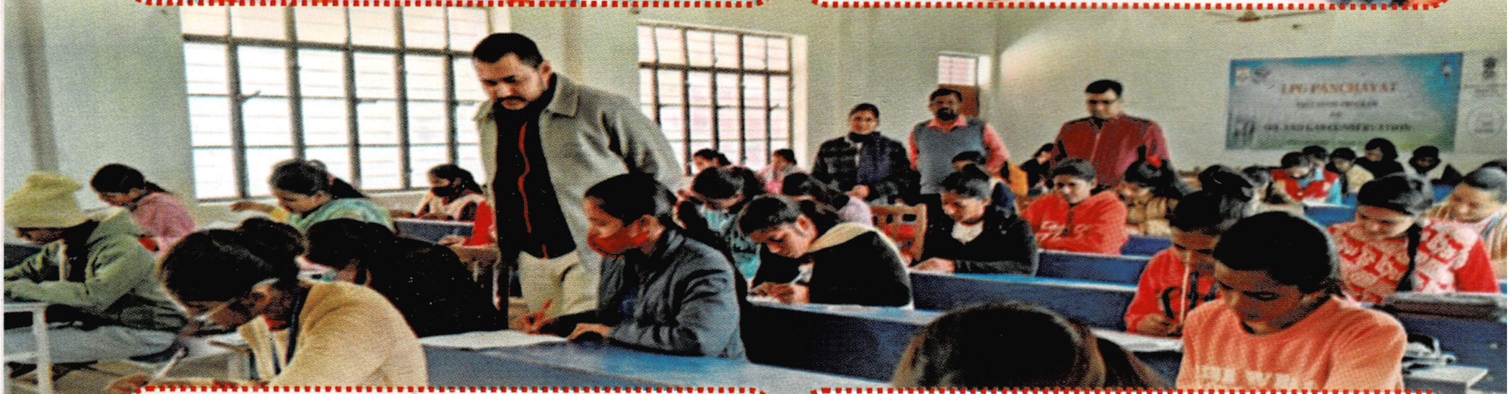

शिक्षा क्रांति

EDUCATION PROGRAM
ON

HD TV

क्षा क्रांति अभियान संस्थान

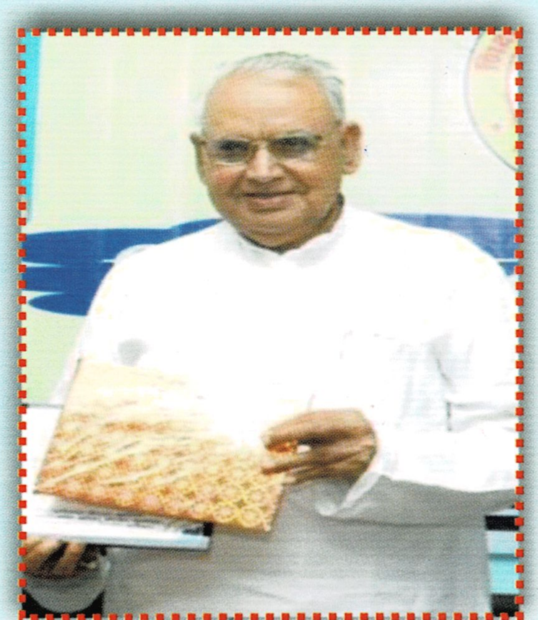

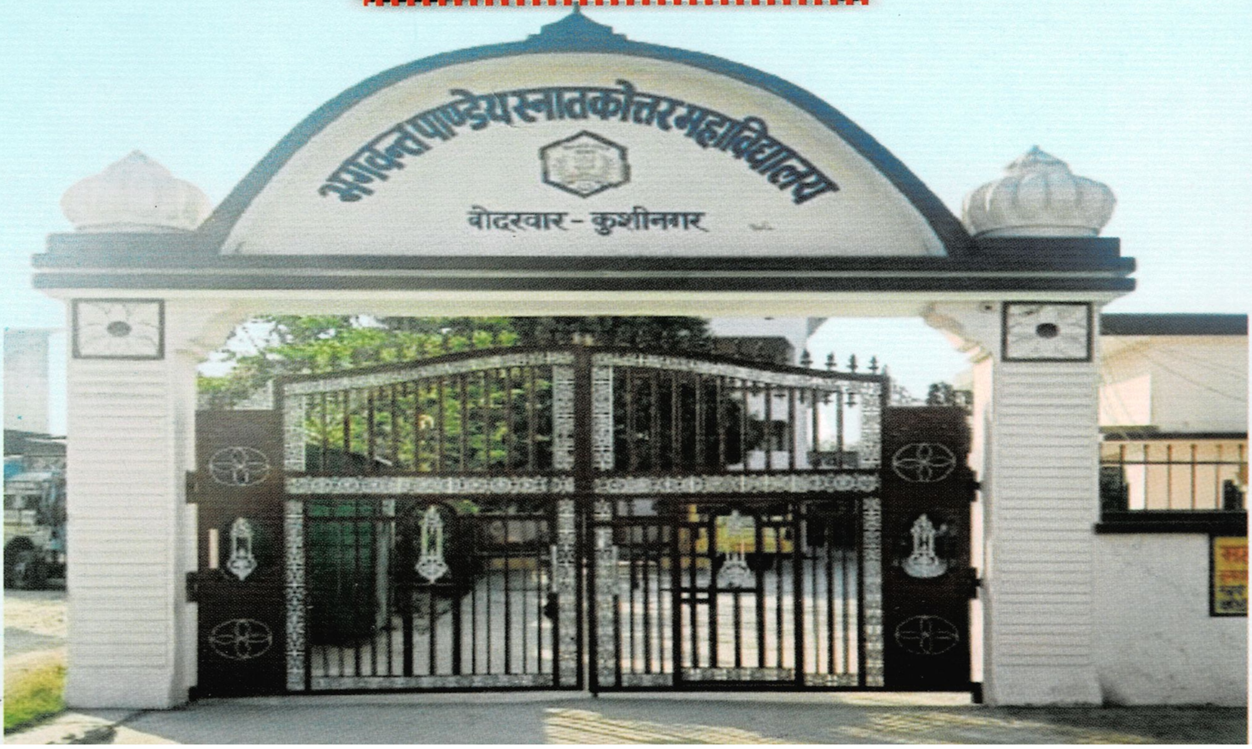
भगवन्त पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बोदरवार - कुशीनगर

नवीन सत्र के लिए प्रवेश प्रारम्भ

उपलब्ध पाठ्यक्रम

बी०ए०	:	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, भूगोल , कम्प्यूटर एप्लीकेशन, चित्रकला एवं अर्थशास्त्र
विज्ञान संकाय	:	बी०एस०-सी० (गणित एवं जीव विज्ञान)
वाणिज्य संकाय	:	बी०कॉम०, एम०कॉम०
एम०ए०	:	गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी एवं शिक्षाशास्त्र
शिक्षा संकाय	:	बी.एड. पाठ्यक्रम

विशेष : राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाईयाँ संचालित ।

कार्यालय सम्पर्क :
मोबाइल नं. - 9936418585, 9651464751
Website : www.bpmahavidyalaya. org

भगवन्त पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
(दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त)
बोदरवार, जनपद - कुशीनगर- 274149

मुद्रक : दि दीनापुर प्रेस, गोरखपुर फोन : 0551-2332929